


कार्यालय सम्पत्ति अधिकारी
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-208002

पत्रांक : सीएसयू- 04 / सम्पत्ति / 2026

दिनांक : मई 06, 2026

नीलामी सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन कार्यालय उर्वरक अनुसंधान प्रक्षेत्र, उत्तरीपूरा में आंधी-पानी से गिरे 01 शीशम का वृक्ष एवं रेलवे ट्रैक के समीप 08 यूकेलिप्टस के खड़े हरे वृक्ष कुल 09 वृक्षों की नीलामी सम्पत्ति कार्यालय में टेण्डर प्रक्रिया द्वारा जहाँ है जैसे है के आधार पर की जायेगी। उक्त वृक्षों की नीलामी हेतु टेण्डर दिनांक 15.05.2026 को सम्पत्ति कार्यालय में डाले जायेंगे। तथा उक्त टेण्डर गठित समिति के समक्ष दिनांक 16.05.2026 को अपराह्न 03.00 बजे सम्पत्ति कार्यालय में खोले जायेंगे।


(के0एस0 बिष्ट)
सम्पत्ति अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।


प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नीलामी समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्य।
2. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को इस आशय से प्रेषित की कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
3. जिलाधिकारी के सूचना पट हेतु।
4. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


(के0एस0 बिष्ट)
सम्पत्ति अधिकारी

नीलामी की शर्तें

9. नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने वाले क्रेता/फर्म को सम्पत्ति कार्यालय से टेण्डर फार्म दिनांक 08.05.2026 से दिनांक 14.05.2026 तक सांय 05.00 तक सम्पत्ति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात फार्म नहीं दिये जायेंगे। टेण्डर फार्म का मूल्य रू0 1000/- होगा। जो वापस नहीं किया जायेगा।
10. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेताओं/फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में रू0 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट सम्पत्ति कार्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में दिनांक 14.05.2026 को सांय 05.00 बजे तक जमा करना होगा। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी भी फर्म/क्रेता का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया जायेगा।
11. बैंक ड्राफ्ट उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर सभी क्रेताओं/फर्म को वापस कर दी जायेगी।
12. क्रेता को पेड़/लकड़ी काटकर 15 दिवसों में हटाना अनिवार्य होगा।
13. पेड़/लकड़ी काटते समय किसी प्रकार की क्षति/दुर्घटना होती है तो समस्त उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।
14. क्रेताओं को पेड़/लकड़ी का निरीक्षण दिनांक 08.05.2026 से दिनांक 14.05.2026 तक सांय 05.00 बजे तक स्वयं करना होगा।
15. क्रेता को जी0एस0टी0 नियमानुसार जमा कर उक्त की प्रति सम्पत्ति कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार पूर्णतया गठित समिति को होगा।


(के0एस0 बिष्ट)
सम्पत्ति अधिकारी